आसाराम V/s रामेश्वर 8/19 RP.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज
	22/9/20 को पेश हो। [signature]
22/9/20	सरकार/पक्षकारान [illegible] उपस्थित लॉकडाउन / कोरोना / पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/[illegible] अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण [illegible] समक्ष दिनांक 30/9/20 को पेश करें
30/9/20	वकील प्रार्थी उपस्थित, बहस प्रार्थी सुनी गई। शामिल पत्रावली निर्णय/आदेश दिनांक 20/10/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर
20/10/20	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A RTAct 1955 खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक [illegible] (एस.डी.ओ.) जायल, [partly legible] नागौर

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 08/2019

प्रार्थी :–

आसाराम पुत्र घासीराम
जाति–जाट, निवासी मेरवास तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामेश्वर पुत्र जेताराम
2. गुमानाराम पुत्र छोटूराम
3. बस्तीराम पुत्र कुनाराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–मेरवास तहसील जायल जिला–नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।
4. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका अप्रार्थी सं. 3 की ओर से।
5. अप्रार्थी संख्या 4 स्वयं उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 208 रकबा 8.01 बीघा मौजा मेरवास तहसील जायल में स्थित है। प्रार्थी के खेत के चिपते ही पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नं. 209 रकबा 8 बीघा आया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वी आम कटाणी रास्ता ग्राम मेरवास से तरनाऊ जाने वाली डामर सड़क आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 का खेत खसरा नं. 14 रकबा 33.10 बीघा मौजा धारणा तहसील जायल में प्रार्थी के खेत के दक्षिणी दिशा में आया हुआ है, जिसके पूर्वी तरफ आम डामर सड़क बनी हुई है। इन खेताय के अलावा प्रार्थी के अन्य कोई कटाणी रास्ता कम दूरी व नजदीक में नहीं लगता है।

प्रार्थी इन्ही खेताय में से कृषि कार्य करने हेतु आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी का इन खेताय में से अपने खेत में आना जाना बंद कर

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.) जायल (नागौर

Scanned with CamScanner

दिया है। जिसके कारण प्रार्थी का खेत में बुआई नहीं की जा सकी। अतः प्रार्थी को अपने खेत खसरा नं. 208 में कृषि कार्य हेतु आने जाने तथा कृषि संसाधन लाने व ले जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शानुसार खसरा नं. 209 ग्राम मेरवास तहसील जायल व खसरा नं. 14 ग्राम धारणा तहसील जायल के बीच काकड़ माठ आई हुई है जिसके अनुसार नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क "ए से बी" कटाणी रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश तहसीलदार जायल को दिये जाने की इस्तदुआ प्रार्थी द्वारा चाही गई जिसके एवज में नियमानुसार प्रतिफल राशि अदा करने हेतु प्रार्थी सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका, ने अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से व अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़, अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने पैरवी हेतु वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार जायल को हस्तगस्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 26.09.2019 को प्राप्त की गई। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी के खेत के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। सबसे नजदीकी रास्ता या अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता भी मौके पर बंद होना साथ ही प्रार्थी के खेत खसरा नं. 208 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता नजदीक दूरी का अन्य नहीं है एवं प्रस्तावित रास्ते खसरा नं. 14 व 209 की कांकड़ माठ पर से होने के कारण प्रस्तावित रास्ते को ही स्वीकृत किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार जायल ने प्रस्तावित भूमि में रास्ता उपलब्ध कराने हेतु खसरा नं. 14 ग्राम धारणा तहसील की डी.एल.सी. दर 23829/–रू. प्रति बीघा तथा खसरा नं. 209 ग्राम मेरवास की डी.एल.सी. दर 21780 रू. प्रतिबीघा है।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने प्रार्थना पत्र के संबंध में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज में आंशिक पैराज को स्वीकार किया जबकि वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कुछ तथ्य सही होना तथा शेष समस्त पैराज मिथ्या, मनगढ़त, गलत होने से अस्वीकार करते हुये बताया कि प्रार्थी ग्राम मेरवास का निवासी है तथा खसरा नं. 209 का विभाजन होकर खसरा नं. 209, 476/209, 477/209 तीन खेत बने है जिनके खातेदार रामेश्वर पुत्र जेताराम जाट मुन्नाराम पुत्र जेताराम तथा लालाराम पुत्र धनाराम जाट के बंट में होकर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 208 के लिए पूर्वी तरफ खसरा नं. 209, 476/209 की सींव माठ से होकर आम सड़क सबसे नजदीक है तथा खसरा नं. 477/209 तक रास्ता वर्तमान में होकर खसरा नं. 208, 209, 477/209 के खातेदार उपयोग में ले रहे है तथा यही रास्ता सबसे कम दूरी का भी है। खेत खसरा नं. 209, 477/209, 476/209 के खातेदार को एक

20/10/2020
सहायक कलक्टर
(सम. डी. धो.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राय होकर अप्रार्थी गुमानाराम को क्षति कारित करना चाहते है। प्रार्थी का खेत हरवर्ष की भांति काश्त हो रहा है। अप्रार्थी गुमानाराम के खेत की उतरी माठ पर कभी भी कोई रास्ता न तो रहा है ना ही है। अप्रार्थी संख्या 1 रामेश्वर पुत्र जेताराम व खसरा नं. 477/209 के काश्तकार मुनाराम पुत्र जेताराम दोनो सगे भाई है तथा खसरा नं. 476/209 व खसरा नं. 209 की सींव पर स्थित वैकल्पिक रास्ता का उपयोग में ले रहे है तथा इसी रस्ते का उपयोग/उपभोग प्रार्थी भी कर रहा है। जिसके कारण प्रार्थी नया रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मिथ्या, गलत मनगढ़त तथा बनावटी तथ्य पेश करने के कारण खारिज किया जावे। वकुलाय की सहमति पर प्रकरण में बहस हेतु तारीख नियत की गई।

नियत तारीख पेशी पर बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये तथा प्रार्थी के खातेदारी, कब्जा सुदा खेत खसरा नं. 208 ग्राम मेरवास में कृषि कार्य प्रयोजनार्थ आने आने हेतु अप्रार्थी के खसरा नं. 209 ग्राम मेरवास व खसरा नं. 14 मौजा धारणा की पूर्वी तरफ की सींव माठ पर माफिक नजरी नक्शानुसार 0.04 – 0.04 बीघा कटाणी रास्ता तरनाउ से मेरवास जाने वाली डामर सड़क तक स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिसके एवज में अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि नियमानुसार (डी.एल.सी. दर) भुगतान हेतु प्रार्थी सहमत है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस दलीलें पेश करते हुये हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों/पैराज का खण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढ़त तथा गलत होने से अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। खसरा नं. 209 का विभाजन होकर खसरा नं. 209, 476/209, 477/209 तीन खेत बने है जिनके खातेदार रामश्वेर पुत्र जेताराम जाट, मुन्नाराम पुत्र जेताराम तथा लालाराम पुत्र धनाराम जाट के बंट में होकर खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 रामेश्वर पुत्र जेताराम व खसरा नं. 477/209 के काश्तकार मुनाराम पुत्र जेताराम दोनो सगे भाई है तथा खसरा नं. 476/209 व खसरा नं. 209 की सींव पर स्थित वैकल्पिक रास्ता का उपयोग में ले रहे है तथा इसी रस्ते का उपयोग/उपभोग प्रार्थी भी कर रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 208 के लिए पूर्वी तरफ खसरा नं. 209, 476/209 की सींव माठ से होकर आम सड़क सबसे नजदीक है। तथा खसरा नं. 477/209 तक रास्ता वर्तमान में खसरा नं. 208, 209, 477/209 के खातेदार उपयोग में ले रहे है तथा यही रास्ता सबसे कम दूरी का भी है। मूल खसरा नं. 209 ग्राम मेरवास के बंटवाड़े से यह तीनों खसरे कायम हुये है। इस बंटवाड़े में भी भू–राजस्व नियमों का पालन नहीं कर रास्ते हेतु जमीन जानबुझकर नहीं छोड़ी गई है। नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि विधिनुसार बंटवाड़ा होता तथा रास्ता कायम होता तो यह खसरा नं. 209 व 476/209 की

20/10/2020
सहायक कलक्टर
पस. डी. बी.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

सींव पर कायम किया जाता है जहां से वर्तमान में मुनाराम व प्रार्थी आशाराम आते–जाते है। खेत खसरा नं. 209, 477/209, 476/209 के खातेदार प्रार्थी के साथ एक राय होकर अप्रार्थी गुमानाराम को क्षति कारित करना चाहते है एवं दूसरे राजस्व गांव धारणा तहसील जायल के खसरा नं. 14 की उतरी माठ पर रास्ता कायम करवाना चाहते है जबकि यह दो राजस्व गांव की सीमा है। इससे सीमाचिन्ह (मुटाम) की स्थिति परिवर्तन से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का खेत हरवर्ष की भांति काश्त हो रहा है। अप्रार्थी गुमानाराम के खेत की उतरी माठ पर कभी भी कोई रास्ता न तो रहा है ना ही है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 रामेश्वर व मुनाराम दोनो सगे भाई है तथा प्रार्थी के साथ इसी वैकल्पिक रास्ता का उपयोग/उपभोग भी कर रहे है जिसके कारण प्रार्थी नया रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मिथ्या, गलत मनगढ़त तथा बनावटी तथ्य पेश करने के कारण काबिले खारिज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया। साथ ही वकुलाय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष की पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.09.2019 का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की ताईद मौका रिपोर्ट से होती है, लेकिन यह बिन्दू आया है कि रास्ता दो राजस्व गांव की सीमा (काकड़ माठ) से प्रस्तावित किया है। वहीं अप्रार्थी पक्ष द्वारा उज्र व दौराने बहस दो बिन्दू रखे गये। 1.– खसरा नं. 477/209 का काश्तकार मुनाराम, खसरा नं. 209, 476/209 की सींव से आता जाता है एवं प्रार्थी भी इसी रास्ते का उपयोग करते है चूंकि मूल खसरे 209 बंटवाड़े में दौराने बंटवाड़ा इसी सींव पर रास्ता कायम किया जाना था जो कि नहीं किया गया। 2.–राजस्व गांवों की सीमा पर रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है, क्यों कि इससे सीमाचिन्ह (मुटाम) परिवर्तन की स्थिति प्रभावित होने की संभावना रहती हैं। वैकल्पिक नजदीकी विकल्प की मौजूदगी में काकड़ माठ पर रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। यह राजस्व विधि की स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तावित रास्ता दो राजस्व गांव की सीमा/काकड़ माठ से प्रस्तावित किया गया है एवं वैकल्पिक विकल्प के रूप में खसरा नं. 209 व खसरा नं. 476/209 की सीव पर रास्ता प्रचलित होने एवं प्रार्थी द्वारा इसी रास्ते का उपयोग/उपभोग किया जाना प्रतीत होता है। जिसका खण्डन प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उचित प्रतीत नहीं होता है तथा खारिज योग्य पाया जाता है।

20/X/2020
सहायक कलक्टर
(...) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

आशाराम बनाम रामरेश्वर वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र 251क /संख्या 08 /2019

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी द्वारा ग्राम मेरवास तहसील जायल के खसरा नं. 209 व ग्राम धारणा तहसील जायल के खसरा नं. 14 में से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत प्रस्तावित रास्ता दो राजस्व ग्रामों की सीमा (काकड़माठ) से चाहे जाने तथा प्रार्थी के आने जाने हेतु वैकल्पिक विकल्प के रूप में खसरा नं. 209 व खसरा नं. 476/209 की सीव पर रास्ता प्रचलित होने तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं कर पाने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी नये सिरे से रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश कर सकेगा। तत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

20/10/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner